सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

(2022-23)

सत्रहवीं लोक सभा

121

एक सौ इक्कीसवां प्रतिवेदन

[विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन राज्य विधिक सेवाप्राधिकरण (एसएलएसए) और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब]

(03.04.2023 को प्रस्तुत किया गया)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च 2023/ चैत्र 1945(शक)

विषय सूची

	पृष्ठ सं.
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23) की संरचना	(iii)
प्राक्कथन	(v)
प्रतिवेदन	
विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब।	01

परिशिष्ट

परिशिष्ट-एक	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ के वर्ष 1998-1999 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की तिथियों को दर्शाने वाला विवरण।	
परिशिष्ट-दो	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ के वर्ष 1998-1999 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने से संबंधित कालक्रमानुसार विवरण	
परिशिष्ट-तीन	समिति की दिनांक 28 मार्च, 2022 को हुई बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण	
परिशिष्ट-चार	सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-2023) की 29.03.2023 को हुई चौथी बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण।	--

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की संरचना

(2022-23)

श्री गिरीश चन्द्र - सभापति

सदस्य

2. डॉ. शफ़ीकुर्रहमान बर्क
3. डॉ. ए. चेल्लाकुमार
4. श्री पल्लब लोचन दास
5. श्री चौधरी मोहन जटुआ
6. चौधरी महबूब अली कैसर
7. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे
8. श्री मारगनी भरत
9. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
10. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
11. श्री टी.एन. प्रथापन
12. श्री एस. रामलिंगम
13. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
14. श्री वाई. देवेन्द्रप्पा
15. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1. श्री विनय कुमार मोहन - संयुक्त सचिव
2. श्री नवल के. वर्मा - निदेशक
3. श्री उत्तम चंद भारद्वाज - अपर निदेशक

प्राक्कथन

मैं, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23) का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर, विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब से संबंधित समिति का यह एक सौ इक्कीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के 08 मार्च, 1976 को सभा में प्रस्तुत किए गए पहले प्रतिवेदन (5वीं लोक सभा) और समिति के 12 मई, 1976 को प्रस्तुत किए गए दूसरे प्रतिवेदन (5वीं लोक सभा) तथा समिति के 22 दिसम्बर, 1977 को प्रस्तुत किए गए दूसरे प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) में की गई सिफ़ारिशों के संदर्भ में, सभी सांविधिक/स्वायत्त, संस्थानों, कंपनियों, सरकारी उपक्रमों, निगमों, संयुक्त उद्यमों, सोसाइटियों, आदि के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ माह के भीतर अर्थात31 दिसंबर तक सभा पटल पर रखा जाना अपेक्षित है।

3. समिति द्वारा की गई संवीक्षा से पता चला कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ के वर्ष 2008-09 से 2020-21 के दस्तावेज निरंतर विलंब के साथ लोक सभा में प्रस्तुत किए गए थे। समिति ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के मामले पर विचार किया और दिनांक 28 मार्च, 2022 को हुई अपनी बैठक में विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया।

4. समिति ने 29.03.2023 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

5. समिति, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ तथा विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग), भारत सरकार के अधिकारियों को समिति के समक्ष लिखित उत्तर और अन्य सामग्री/जानकारी प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देती है।

6. समिति से संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता के लिए समिति उनकी सराहना करती है।

7. समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के अंत में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली
29 मार्च 2023
चैत्र 8, 1945 (शक)

श्री गिरीश चन्द्र
सभापति
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति
लोक सभा

<u>सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति</u>

<u>प्रतिवेदन</u>

विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन (एक) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) और (दो) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब।

****

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ की स्थापना वर्ष 1998 में की गई थी।

चंडीगढ़ भारत का संघ राज्य क्षेत्र होने के कारण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत किया गया था जो 19 जनवरी 1998 से लागू हुआ था।

अधिनियम के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने और पक्षकारों के बीच विवादों को सौहार्दपूर्ण और शीघ्रता से निपटाने के लिए, 07.08.1998 को जिला न्यायालय परिसर, चंडीगढ़ में स्थायी लोक अदालत की स्थापना की गई थी, जो देश की पहली स्थायी लोक अदालत थी।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम*, 1987* के अध्याय *VI (*क) की धारा *22 (*ख) में लोक उपयोज्यता सेवाओं के संबंध में स्थायी लोक अदालतों की स्थापना का प्रावधान है। चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में लोक उपयोज्यता सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालत की स्थापना दिनांक *09.11.2003* को की गई थी।

2. उस अधिनियम, नियम या विनियम के बारे में पूछे जाने पर, जिसके अंतर्गत इन संगठनों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जा रहे हैं, विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग) ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार प्रस्तुत किया है:-

"*विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम*, 1987 *की धारा* 18 *जिसके अंतर्गत डीएलएसए और एसएलएसए के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जा रहे हैं, निम्नानुसार है:*

18. *लेखा और लेखा परीक्षा (*1) *यथास्थिति, केन्द्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण (जिन्हें इसके पश्चात् इस धारा में प्राधिकरण कहा गया है) उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा तथा लेखाओं का एक वार्षिक विवरण जिसके अन्तर्गत आय और व्यय लेखा तथा तुलन-पत्र भी है. ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से तैयार करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से, विहित की जाए।*

(2) *प्राधिकरणों के लेखे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर लेखा परीक्षित किए जाएंगे जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी लेखा परीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय संबंधित प्राधिकरण द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।*

(3) *भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के और इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी लेखा परीक्षा के संबंध में वही अधिकार तथा विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सरकारी लेखाओं की लेखा परीक्षा करने के संबंध में होते हैं और विशिष्टतया, उसे बहियों,लेखाओं सेवाओं, संबंधित बाउचरों तथा अन्य दस्तावेजों और कागज पत्रों के पेश किए जाने की मांग करने का और इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरणों के कार्यालयों में से किसी का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।*

(4) *भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित प्राधिकरणों के लेखे, उनसे संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित, प्राधिकरणों द्वारा यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को प्रत्येक वर्ष भेजे जाएंगे।''*

3. समिति ने मंत्रालय से जानना चाहा कि एसएलएसए और डीएलएसए के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सदन के पटल पर रखने के प्रावधान और समय-सीमा क्या हैं, विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग) ने अपने लिखित उत्तर में बताया है कि:-

" विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 18 (5) और (6) में प्रावधान है:

(5) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (4) के अधीन उसके द्वारा प्राप्त लेखा और लेखा परीक्षा रिपोर्ट, उनके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

(6) राज्य सरकार उपधारा (4) के अधीन उसके द्वारा प्राप्त लेखा और लेखा परीक्षा रिपोर्ट, उनके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समझ रखवाएगी।"

4. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए), संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ को कानूनी गतिविधि के लिए एनएएलएसए से सहायता अनुदान और प्रशासनिक और वेतन व्यय के लिए चंडीगढ़ प्रशासन से प्राप्त सहायता अनुदान प्राप्त हुआ है। पिछले दस वित्तीय वर्षों के दौरान नालसा से प्राप्त और चंडीगढ़ प्रशासन से प्राप्त सहायता अनुदान का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्रं.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**नालसा से सहायता अनुदान**	**चंडीगढ़ प्रशासन से प्राप्त सहायता अनुदान**	**कुल सहायता अनुदान**
1	2011-2012	₹ 60,00,000	₹ 1,10,00,000	₹ 1,70,00,000
2	2012-2013	₹ 30,00,000	₹ 1,45,00,000	₹ 1,75,00,000
3	2013-2014	₹ 1,22,00,000	₹ 1,90,00,000	₹ 3,12,00,000
4	2014-2015	₹ 97,00,000	₹ 2,14,00,000	₹ 3,11,00,000
5	2015-2016	₹ 50,00,000	₹ 2,02,00,000	₹ 2,52,00,000
6	2016-2017	₹ 1,00,00,000	₹ 2,30,00,000	₹ 3,30,00,000
7	2017-2018	₹ 2,00,00,000	₹ 2,90,00,000	₹ 4,90,00,000
8	2018-2019	₹ 0	₹ 3,19,20,000	₹ 3,19,20,000
9	2019-2020	₹ 1,00,00,000	₹ 3,45,00,000	₹ 4,45,00,000
10	2020-2021	₹ 84,00,000	₹ 4,87,79,000	₹ 5,71,79,000

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ को वर्ष 2017-18 से कानूनी गतिविधि के लिए नालसा से सहायता अनुदान और प्रशासनिक खर्चों के लिए चंडीगढ़ प्रशासन से प्राप्त अनुदान सहायता प्राप्त हुई है। एनएएलएसए से प्राप्त और साथ ही 2017-18 से चंडीगढ़ प्रशासन से प्राप्त सहायता अनुदान का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रं.सं.	वित्तीय वर्ष	नालसा से सहायता अनुदान	चंडीगढ़ प्रशासन से प्राप्त सहायता अनुदान	कुल सहायता अनुदान
1	2017-2018	₹1,60,000	₹0	₹1,60,000/-
2	2018-2019	₹1,40,000	₹4,20,000	₹5,60,000/-
3	2019-2020	₹26,15,157	₹17,41,814	₹43,56,971/-
4	2020-2021	₹27,68,280	₹25,20,000	₹52,88,280/-

5. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (पाँचवीं लोक सभा) के पहले प्रतिवेदन तथा दूसरे प्रतिवेदन, छठी लोक सभा के दूसरे प्रतिवेदन, जिन्हें क्रमश: 08 मार्च 1976, 12 मई 1976 और 22 दिसम्बर 1977 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में, संगठनों/ निगमों/ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे, लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ माह के भीतर सभा पटल पर रखे जाने आवश्यक हैं। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखाओं के संकलन और उनकी लेखापरीक्षा के लिए उचित समय-सारणी निर्धारित की जानी चाहिए। समिति ने यह महसूस किया कि वार्षिक लेखाओं के संकलन और उन्हें लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत करने के लिए सामान्यतः तीन माह की अवधि पर्याप्त होगी; लेखाओं की लेखापरीक्षा, प्रतिवेदन के मुद्रण और इसे सभा पटल पर रखने हेतु सरकार के पास भेजने के लिए अगले 6 माह दिए जा सकते हैं। यदि किसी कारणवश, संगठनों/निगमों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर नहीं रखे जा सके, तो संबंधित मंत्रालय को उपरोक्त अवधि की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर या जब भी सभा समवेत हो, जो भी बाद में हो, दस्तावेजों को सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को बताते हुए एक विवरण सभा पटल पर रखना चाहिए।

6. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति, लोक सभा ने एसएलएसए और डीएलएसए के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं, जिन्हें विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग) द्वारा संसद लोक (सभा) के समक्ष रखा गया था, को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के मामले पर विचार करने और उसकी जांच करने का निर्णय लिया। समिति ने इन आवश्यक पत्रों की जांच से, पाया कि वर्ष 1998-99 से 2019-20 के दौरान, एसएलएसए और डीएलएसए, के आवश्यक पत्रों को 21 वर्ष से लेकर 11 माह के लगातार विलंब से सदन के समक्ष रखा गया था। इसके अलावा, वर्ष 2020-21 के आवश्यक

दस्तावेजों को 25.03.2022 को दो महीने के विलंब से सभा के पटल पर रखा गया। एसएलएसए और डीएलएसए के वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की वास्तविक तिथियों और इन दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में विलंब की अवधि को दर्शाने वाला विवरण **परिशिष्ट-एक** में दिया गया है।

7. समिति ने मंत्रालय से प्रतिवेदनों, लेखापरीक्षित लेखाओं आदि को अंतिम रूप देने के लिए सामान्य समय-सीमा और पिछले वर्षों 1998-1999 से 2020-2021 के दौरान एसएलएसए और डीएलएसए द्वारा लिए गए वास्तविक समय के संबंध में जानकारी देने के लिए कहा। जिसकी सूचना **परिशिष्ट-दो** में दी गई है।

8. समिति ने 1998-1999 से 2020-2021 तक के वर्षों के लिए एसएलएसए और डीएलएसए की वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित खातों को सदन में रखने में देरी के कारणों को जानना चाहा। विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग) ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार प्रस्तुत किया:-

> " विधि और न्याय मंत्रालय ने देश भर में स्थापित विधिक सेवा संस्थानों के माध्यम से विधिक सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 1998-99 से 2019-20 के दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), नई दिल्ली को आवर्ती सहायता अनुदान जारी किया था।
>
> प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा का कार्यालय (केंद्रीय), चंडीगढ़ ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ के वर्ष 1998-99 से 2019-20 के लेखाओं की लेखा परीक्षा की थी । 2011 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा 1997-98 से 2007-08 तक की अवधि की ऑडिट रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने के लिए विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय को भेजा गया था । "गरीबों के लिए विधिक सहायता" विषय को दिनांक 10 जून, 2013 की एस.ओ. 1521 (ई) द्वारा न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया था । 2016 में, विधि कार्य विभाग से यह पुष्टि की गई थी कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ के वर्ष 1997-98 से 2007-08 तक के ऑडिट किए गए लेखाओं को संसद के समक्ष नहीं रखा गया था, क्योंकि ये उनके विभाग में प्राप्त नहीं हुए थे । वर्ष 2008-09 से पहले की रिपोर्टों को न रखने के कारण वर्ष 2008-09 की बाद की रिपोर्टों को रोके रखा गया था । काफी प्रयत्नों के बाद, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ की वर्ष 1998-99 से 2019-20 तक की वार्षिक रिपोर्ट

और वार्षिक लेखाओं की ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त की गई हैं और उन्हें संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखने के लिए तैयार किया गया। तत्पश्चात उक्त प्रतिवेदन दिनांक 17.12.2021 को लोक सभा के पटल पर रखे गए ।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ की वार्षिक रिपोर्ट और लेखे वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के साथ बजट सत्र 2022 में लोक सभा के पटल पर रखे जाएंगे।"

9. समिति द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या कानून और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग) और एसएलएसए और डीएलएसए ने उन चरणों की पहचान की है जिनमें इन सभी वर्षों के दौरान देरी हुई है और यदि हां, तो मंत्रालय ने इसे कैसे कम करने का विचार रखा, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में प्रस्तुत किया:-

"एसएलएसए और डीएलएसए, यूटी चंडीगढ़ के वार्षिक खातों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने में जानबूझकर कोई देरी नहीं हुई और एसएलएसए और डीएलएसए के आवश्यक वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित लेखाओं को भविष्य में समय पर प्रस्तुत किया जाएगा।"

10. समिति ने मंत्रालय से यह पूछा कि लेखाओं की लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षा प्राधिकारियों से अंतिम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अंतत: समय पर प्राप्त करने के मुद्दे को कैसे सुलझाया गया। मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

" राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ ने तिमाही आधार पर चार्टर्ड एकाउंटेंट को आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए प्रतिनियुक्त किया है। इसके अलावा, चंडीगढ़ प्रशासन ने प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए अनुभाग अधिकारी का एक पद भी स्वीकृत किया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ ने चार्टर्ड एकाउंटेंट को लेखाओं के लेखापरीक्षा के लिए भी प्रतिनियुक्त किया है। "

11. समिति ने मंत्रालय से लेखांकन प्रक्रिया के डिजिटलीकरण और कम्प्यूटरीकरण की स्थिति के बारे में पूछा, जिससे लेखाओं का शीघ्र और समय पर संकलन करने में सुविधा हो सके। मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:-

"एसएलएसए और डीएलएसए, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ लेखाओं के तेजी से और समय पर संकलन के लिए लेखांकन के डिजिटलीकरण और कम्प्यूटरीकरण के लिए 'टैली' और पीएफएमएस सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं।"

12. समिति ने मंत्रालय से यह भी पूछा कि क्या डीएलएसए और एसएलएसए के पास वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं का समय पर संकलन सुनिश्चित करने और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा के समय पर लेखा परीक्षा संबंधी प्रश्नों को कम करने के लिए कोई आंतरिक लेखा परीक्षा तंत्र है। मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

" एसएलएसए, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ *ने तिमाही आधार पर आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट को नियुक्त किया है। डीएलएसए,* संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ *ने भी आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट को नियुक्त किया है"*

13. इसके बाद समिति ने मंत्रालय से पूछा कि क्या डीएलएसए और एसएलएसए के दस्तावेजों का समय पर सभा पटल पर रखा जाना सुनिश्चित करने और इस संबंध में कार्य की प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय में कोई आंतरिक तंत्र है। मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:-

"कार्य की प्रगति की निगरानी के लिए प्राधिकरण की गतिविधियों को वार्षिक आम बैठकों में रखा जाता है और प्राधिकरण वार्षिक लेखाओं को लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को अग्रेषित करता है।""'

14. समिति ने मंत्रालय से लेखा वर्ष की समाप्ति से नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर संसद के समक्ष दस्तावेजों को समय पर प्रस्तुत करने को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय और एसएलएसए तथा डीएलएसए दोनों द्वारा किए जाने वाले उपचारात्मक उपायों पर एक नोट प्रस्तुत करने के लिए कहा। विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग) ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:-

"*एसएलएसए और डीएलएसए, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के वार्षिक लेखाओं के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में कोई जानबूझकर देरी नहीं की गई थी। और भविष्य में एसएलएसए और डीएलएसए की अपेक्षित वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को समय पर प्रस्तुत किया जाएगा।*'' "

15. इसके परिणामस्वरूप, वर्ष 1998-99 से 2019-2020 के लिए एसएलएसए और डीएलएसए के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के कारणों की जांच करने के लिए सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (लोकसभा) ने न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे दिनांक 28.03.2022 को समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य के लिए उपस्थित हों।

16. मौखिक साक्ष्य के दौरान मंत्रालय के प्रतिनिधि ने निम्नवत बताया:-

"..... पहले कार्य आवंटन नियमों के तहत, गरीबों को कानूनी सहायता एक ऐसा विषय था जिसे विधि कार्य विभाग द्वारा देखा जाता था, न कि न्याय विभाग द्वारा। लेकिन 2013 में, भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमों में परिवर्तन किया गया और गरीबों को कानूनी सहायता देने को न्याय विभाग के तहत लाया गया। तब तक, ऐसा हो रहा था, कि नालसा से जो कुछ भी आ रहा था - चूंकि यह एक सामान्य लेखा था - हम यह मानकर चल रहे थे कि इसे संसद में भेजा जाना है, और यथा अपेक्षित इसे समय-समय पर सभा पटल पर रखा जा रहा था। 2018 में, हमें माननीय समिति से पता चला कि हम चूक कर रहे थे। यहां तक कि संघ राज्य क्षेत्रों के *प्रशासन के संबंध में भी, इसे अलग से भेजा जाना चाहिए। जब हमने अपने दस्तावेज़ तैयार किए, तो हमने महसूस किया कि हम इसे तब तक संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, जब तक कि 2013 से पहले के दस्तावेज़ हमारे पास उपलब्ध न हों। उस समय, हमने यह पता लगाने की कोशिश की कि दस्तावेज़ कहां है और फिर हमें पता चला कि सभी दस्तावेज़ विधि कार्य विभाग को प्रस्तुत किए गए थे। हमने विधि कार्य विभाग से दस्तावेज़ प्राप्त किए और इसके बाद इन सब को प्रस्तुत किया गया ।*

अब, हमने वर्ष 2020 तक चंडीगढ़ के दस्तावेजों को पूरा कर लिया है। हमने वर्ष 2020-21 के लिए इसे 24 मार्च को राज्य सभा के पटल पर रखा गया और 25 मार्च को लोक

सभा में प्रस्तुत किया गया। मैं स्वीकार करता हूं कि न्याय विभाग की ओर से बहुत अधिक विलंब हुआ है।"

एसएलएसए और डीएलएसए के अपेक्षित दस्तावेजों का समय से सभा पटल पर रखा जाना सुनिश्चित करने के लिए, समिति को यह भी अवगत कराया गया कि -

".....इसके बाद, हमने वास्तव में एक आंतरिक एसओपी तैयार करने के लिए एनएएलएसए के साथ इस मामले को उठाया ताकि हम आगे चूक न करें। उन्होंने इसे पहले ही माननीय न्यायमूर्ति ललित के समक्ष उनके अनुमोदन हेतु रखा है ताकि भविष्य में ऐसा कभी न हो। "

समिति को यह भी अवगत कराया गया कि अन्य संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् (एक) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह; (दो) दादरा और नगर हवेली; (तीन) दमन और दीव; (चार) जम्मू और कश्मीर; (पांच) लद्दाख; (छह) लक्षद्वीप के अपेक्षित दस्तावेजों को भी सभा पटल पर रखने के लिए इनका अनुपालन किया जा रहा है।

<u>टिप्पणियाँ /सिफारिशें</u>

17. समिति नोट करती है कि विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग) और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ ने वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने के संबंध में, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के पहले प्रतिवेदन (5वीं लोकसभा) के पैरा 1.16 और 3.5, दूसरे प्रतिवेदन (5वीं लोक सभा) के पैरा 4.16 और 4.18 और दूसरे प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) के पैरा 1.12 और 2.6 से 3.8 में अंतर्विष्ट सिफारिशों में निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं किया है, जोकि क्रमशः 08.03.1976, 12.05.1976 और 22.12.1977 को सदन में प्रस्तुत किए गए थे । लेखा वर्ष समाप्त होने के नौ महीने के भीतर पत्रों को सभापटल पर रखने की अनिवार्य अपेक्षा का अनुपालन नहीं किया गया है। 1998-99 से 2019-20 तक के वर्षों के लिए एसएलएसए और डीएलएसए के अपेक्षित दस्तावेज 21 वर्षों से अधिक से लकर 11 महीने तक की देरी के साथ सभा पटल पर रखे गए थे और वर्ष 2020-2021 के लिए, ये दस्तावेज लगभग 3 महीने की देरी के साथ दिनांक 25.03.2022 को सभा पटल पर रखे गए थे।

18. एसएलएसए और डीएलएसए के दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में विलंब के कारणों की जांच करते समय, समिति नोट करती है कि एसएलएसए और डीएलएसए को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) से सहायता अनुदान मिल रहा है और एनएएलएसए के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं के साथ संपूर्ण ब्यौरे नियमित रूप से सभा पटल पर रख दिए जाते हैं। इसलिए, मंत्रालय यह मानकर चल रहा था कि एसएलएसए और डीएलएसए के अपेक्षित दस्तावेजों को अलग से सभा पटल पर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि, 2018 में, समिति ने विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग)/एनएएलएसए को अवगत कराया था कि सभी एसएलएसए/डीएलएसए के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को भी अलग से सदन के सभा पटल पर रखा जाना अपेक्षित है। इसके बाद, मंत्रालय ने एसएलएसए और डीएलएसए चंडीगढ़ के आवश्यक दस्तावेजों को सभा पटल पर रखना शुरू किया। डीएलएसए और एसएलएसए के अपेक्षित दस्तावेजों को सदन के सभा पटल पर रखने की प्रक्रिया के दौरान न्याय विभाग ने पाया कि वर्ष 1997-98 से 2007-08 तक के एसएलएसए और डीएलएसए के अपेक्षित दस्तावेज संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखने के लिए विधि कार्य विभाग को भेजे गए थे। हालांकि, विधि कार्य विभाग ने इन दस्तावेजों को सभा पटल पर नहीं रखा था। वर्ष 2013 में, जब गरीबों को कानूनी सहायता विषय को, विधि कार्य विभाग से न्याय विभाग के अधीन लाया गया था, तो इसके बाद न्याय विभाग ने विधि कार्य विभाग से एसएलएसए और डीएलएसए के अपेक्षित दस्तावेज एकत्र किए और बाद के वर्षों के लिए डीएलएसए और एसएलएसए से भी इन दस्तावेजों को सदन के सभा पटल पर रखने के लिए एकत्र किया। न्याय विभाग के लंबे प्रयासों के बाद, वर्ष 1998-99 से 2019-20 तक के लिए एसएलएसए और डीएलएसए, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को 17.12.2021 को और वर्ष 2020-21 के दस्तावेजों को 25.03.2022 को लोकसभा के पटल पर रखा गया था। समिति एसएलएसए और डीएलएसए के अपेक्षित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने के संबंध में न्याय विभाग द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करती है। हालांकि , समिति विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा (5) के रूप में वैधानिक आवश्यकता को पूरा न करने के कारणों को जानना चाहती है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एसएलएसए और डीएलएसए के अपेक्षित दस्तावेजों को संसद के दोनों सदनों में रखा जाना है।

समिति यह सिफारिश भी करती है कि विधि कार्य विभाग वर्ष 1997-98 के लिए एसएलएसए और डीएलएसए के अपेक्षित दस्तावेजों को सभा पटल पर नहीं रखे जाने के कारणों का पता भी लगाए क्योंकि मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत उत्तरों से प्रतीत होता है कि वर्ष 1997-98 के दस्तावेज सदन के सभा पटल पर नहीं रखे गए। इसलिए, समिति, मंत्रालय से वर्ष 1997-98 के लिए एसएलएसए और

डीएलएसए के दस्तावेज यथाशीघ्र सभा पटल पर रखने की सिफारिश करती है। समिति चाहती है कि इस संबंध में मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में उसे अवगत कराया जाए।

19. समिति को यह भी अवगत कराया गया कि अन्य संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् (एक) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह; (दो) दादरा और नगर हवेली; (तीन) दमन और दीव; (चार) जम्मू और कश्मीर; (पांच) लद्दाख; (छह) लक्षद्वीप के अपेक्षित दस्तावेजों को भी सभा पटल पर रखने के लिए अनुपालन किया जा रहा है। समिति आशा करती है कि इन संघ राज्य क्षेत्रों के अपेक्षित दस्तावेज यथाशीघ्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

20. समिति, मंत्रालय से आग्रह करती है कि यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से एसएलएसए और डीएलएसए के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर नहीं रखा जा सका, तो निर्धारित अवधि के भीतर अपेक्षित दस्तावेज क्यों नहीं रखे जा सके, इसके कारणों को स्पष्ट करते हुए एक विवरण 30 दिनों के भीतर या जैसे ही सभा समवेत हो जो भी बाद में हो, सभा पटल पर रखा जाना चाहिए।

नई दिल्ली
29 मार्च 2023
चैत्र 8, 1945 (शक)

श्री गिरीश चन्द्र
सभापति
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति
लोक सभा

<u>परिशिष्ट-एक</u>

<u>देखिए प्रतिवेदन का पैरा 06</u>

(एक) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं (दो) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की तिथियों को दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	नियत तिथि	वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की तिथि	विलंब की अवधि
1998-1999	31.12.1999	17.12.2021	21 वर्ष 11 माह 17 दिन
1999-2000	31.12.2000	17.12.2021	20 वर्ष 11 माह 17 दिन
2000-2001	31.12.2001	17.12.2021	19 वर्ष 11 माह 17 दिन
2001-2002	31.12.2002	17.12.2021	18 वर्ष 11 माह 17 दिन
2002-2003	31.12.2003	17.12.2021	17 वर्ष 11 माह 17 दिन
2003-2004	31.12.2004	17.12.2021	16 वर्ष 11 माह 17 दिन
2004-2005	31.12.2005	17.12.2021	15 वर्ष 11 माह 17 दिन
2005-2006	31.12.2006	17.12.2021	14 वर्ष 11 माह 17 दिन
2006-2007	31.12.2007	17.12.2021	13 वर्ष 11 माह 17 दिन
2007-2008	31.12.2008	17.12.2021	12 वर्ष 11 माह 17 दिन
2008-2009	31.12.2009	17.12.2021	11 वर्ष 11 माह 17 दिन
2009-2010	31.12.2010	17.12.2021	10 वर्ष 11 माह 17 दिन

2010-2011	31.12.2011	17.12.2021	09 वर्ष 11 माह 17 दिन
2011-2012	31.12.2012	17.12.2021	08 वर्ष 11 माह 17 दिन
2012-2013	31.12.2013	17.12.2021	07 वर्ष 11 माह 17 दिन
2013-2014	31.12.2014	17.12.2021	06 वर्ष 11 माह 17 दिन
2014-2015	31.12.2015	17.12.2021	05 वर्ष 11 माह 17 दिन
2015-2016	31.12.2016	17.12.2021	04 वर्ष 11 माह 17 दिन
2016-2017	31.12.2017	17.12.2021	03 वर्ष 11 माह 17 दिन
2017-2018	31.12.2018	17.12.2021	02 वर्ष 11 माह 17 दिन
2018-2019	31.12.2019	17.12.2021	01 वर्ष 11 माह 17 दिन
2019-2020	31.12.2020	17.12.2021	11 माह 17 दिन
2020-2021	31.12.2021	25.03.2022	02 माह 25 दिन

<u>परिशिष्ट-दो</u>

<u>देखिए प्रतिवेदन का पैरा 07</u>

डीएलएसए और एसएलएसए, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के वर्ष 1998-1999 से 2020-2021 के लिए वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप देने में शामिल विभिन्न गतिविधियों का कालक्रमानुसार विवरण।

उप-प्रश्न	**बिंदु**	**1998-1999 से 2020-2021- तक के वर्षों के लिए वर्षवार एसएलएसए ब्यौरा**										
		1998-99	**1999-2000**	**2000-01**	**2001-02**	**2002-03**	**2003-04**	**2004-05**	**2005-06**	**2006-07**	**2007-08**	**2008-09**
12(एक)	लेखापरीक्षा प्राधिकारियों से संपर्क करने की तिथि	07-05-1999	22-02-2010	22-02-2010	22-02-2010	22-02-2010	22-02-2010	22-02-2010	22-02-2010	22-02-2010	22-02-2010	22-02-2010
	लेखा वर्ष समाप्त होने के बाद लिया गया समय	36दिन	217 दिन	217 दिन	217 दिन	217 दिन	217 दिन	217 दिन	217 दिन	217 दिन	217 दिन	122 दिन
12 (दो)	सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की तिथि	14-06-1999	17-03-2010	17-03-2010	17-03-2010	17-03-2010	17-03-2010	17-03-2010	17-03-2010	17-03-2010	17-03-2010	17-03-2010
	लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिए लेखापरीक्षा	38 दिन	23 दिन	23 दिन	23 दिन	23 दिन	23 दिन	23 दिन	23 दिन	23 दिन	23 दिन	23 दिन

	प्राधिकारियों से संपर्क करने के बाद लिया गया समय											
12 (तीन)	वार्षिक लेखों के संकलन की तिथि	21-05-1999	20-07-2009	20-07-2009	20-07-2009	20-07-2009	20-07-2009	20-07-2009	20-07-2009	20-07-2009	20-07-2009	31-07-2009
	लेखा वर्ष समाप्त होने के बाद लिया गया समय	50दिन	3398 दिन	3033 दिन	2668 दिन	2303 दिन	1937 दिन	1572 दिन	1207 दिन	842 दिन	476 दिन	122 दिन
12 (चार)	लेखापरीक्षकों को वार्षिक लेखे प्रस्तुत करने की तिथि	07-05-1999	22-02-2010	22-02-2010	22-02-2010	22-02-2010	22-02-2010	22-02-2010	22-02-2010	22-02-2010	22-02-2010	22-02-2010
	संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद लिया गया समय	36दिन	217 दिन	217 दिन	217 दिन	217 दिन	217 दिन	217 दिन	217 दिन	217 दिन	217 दिन	122 दिन
12 (पाँच)	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा की तिथि एवं अवधि	14-08-1999	17.03.2010 to 26.03.2010	17.03.2010 से 26.03.2010	17.03.2010 से 26.03.2010	17.03.2010 से 26.03.2010	17.03.2010 से 26.03.2010	17.03.2010 से 26.03.2010	17.03.2010 से 26.03.2010	17.03.2010 से 26.03.2010	17.03.2010 से 26.03.2010	17.03.2010 से 26.03.2010
12 (छः)	लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा के दौरान/वार्षिक लेखों के	14-06-1999	18-05-2010	18-05-2010	18-05-2010	18-05-2010	18-05-2010	18-05-2010	18-05-2010	18-05-2010	18-05-2010	18-05-2010

	पूरा होने के बाद उठाए गये प्रश्नों की तिथि											
	लेखापरीक्षा प्राधिकारियों को लेखापरीक्षा के दौरान/वार्षिक लेखों को पूरा करने के बाद प्रश्न उठाने में लेखापरीक्षकों द्वारा लिया गया समय	08 दिन	53 दिन	53 दिन	53 दिन	53 दिन	53 दिन	53 दिन	53 दिन	53 दिन	53 दिन	53 दिन
12(सात)	वह तिथि जब लेखापरीक्षकों को लेखापरीक्षा प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत किए गए थे	14-06-1999	25-05-2010	25-05-2010	25-05-2010	25-05-2010	25-05-2010	25-05-2010	25-05-2010	25-05-2010	25-05-2010	25-05-2010
	प्रश्नों को हल करने में लगने वाला समय	08 दिन	7 दिन	7 दिन	7 दिन	7 दिन	7 दिन	7 दिन	7 दिन	7 दिन	7 दिन	7 दिन
12(आठ)	वह तिथि जिस पर लेखापरीक्षा प्राधिकारियों द्वारा ड्राफ्ट लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की गई	02-07-1999	18-05-2010	18-05-2010	18-05-2010	18-05-2010	18-05-2010	18-05-2010	18-05-2010	18-05-2010	18-05-2010	18-05-2010

	थी											
	वार्षिक लेखों की लेखा परीक्षा के बाद लिया गया समय	11 दिन	53 दिन	53 दिन	53 दिन	53 दिन	53 दिन	53 दिन	53 दिन	53 दिन	53 दिन	53 दिन
12 (नौ)	वह तिथि जिस पर संस्थान को अंतिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त हुई	09-09-1999	15-02-2012	15-02-2012	15-02-2012	15-02-2012	15-02-2012	15-02-2012	15-02-2012	15-02-2012	15-02-2012	15-02-2012
	ड्राफ्ट रिपोर्ट जारी होने के बाद लिया गया समय	69 दिन	638 दिन	638 दिन	638 दिन	638 दिन	638 दिन	638 दिन	638 दिन	638 दिन	638 दिन	638 दिन
12(दस)	संस्थान की अंतिम लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए वार्षिक लेखा प्राप्त करने के बाद लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा लिया गया कुल समय	25 दिन	723 दिन	723 दिन	723 दिन	723 दिन	723 दिन	723 दिन	723 दिन	723 दिन	723 दिन	723 दिन
12 (ग्यारह)	वार्षिक रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की तिथि	21-05-1999	15-02-2012	15-02-2012	15-02-2012	15-02-2012	15-02-2012	15-02-2012	15-02-2012	15-02-2012	15-02-2012	15-02-2012
	वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद लिया गया	51 दिन	638 दिन	638 दिन	638 दिन	638 दिन	638 दिन	638 दिन	638 दिन	638 दिन	638 दिन	638 दिन

	समय, और											
	अंतिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद लिया गया समय	51 दिन	638 दिन	638 दिन	638 दिन	638 दिन	638 दिन	638 दिन	638 दिन	638 दिन	638 दिन	638 दिन
12 (बारह)	वह तिथि जिस पर दस्तावेजों को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित किया गया था	23-08-1999	25-05-2010	25-05-2010	25-05-2010	25-05-2010	25-05-2010	25-05-2010	25-05-2010	25-05-2010	25-05-2010	25-05-2010
	वार्षिक रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के बाद लिया गया समय	95 दिन	कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है
	अंतिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद लिया गया समय	95 दिन	कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है
12 (तेरह)	जिस तिथि को दस्तावेज अनुवाद एवं मुद्रण हेतु लिए गए थे	31.07.2020	31.07.2020	31.07.2020	31.07.2020	31.07.2020	31.07.2020	31.07.2020	31.07.2020	31.07.2020	31.07.2020	31.07.2020
	प्रत्येक चरण में कार्य को पूरा करने में लगने	80 दिन	80 दिन	80 दिन	80 दिन	80 दिन	80 दिन	80 दिन	80 दिन	80 दिन	80 दिन	80 दिन

	वाला समय											
12 (चौदह)	हर चरण में कार्य पूरा होने के बाद सदन में रखे जाने के लिए दस्तावेजों को मंत्रालय भेजने की तिथि	21-10-2020	21-10-2020	21-10-2020	21-10-2020	21-10-2020	21-10-2020	21-10-2020	21-10-2020	21-10-2020	21-10-2020	21-10-2020
	मंत्रालय को दस्तावेजों को भेजने में संगठनों द्वारा लिया गया समय	2011 में, 1997-98 से 2007-08 की अवधि के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखने के लिए एनएएलएसए द्वारा विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय को भेजी गई थी। एस.ओ 1521 (ई) दिनांक 10 जून, वर्ष 2013, द्वारा "गरीबों को कानूनी सहायता" विषय पर न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया था। वर्ष 2016 में, विधि कार्य विभाग से यह पुष्टि की गई थी कि एसएलएसए और डीएलएसए, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के वर्ष 1997-98 से 2007-08 के लेखापरीक्षित लेखाओं को संसद के समक्ष नहीं रखा गया था क्योंकि ऐसा लगता है कि वे उनके विभाग में प्राप्त नहीं हुए थे। वर्ष 2008-09 से आगे के लिए प्रतिवेदन सभा पटल पर रखना वर्ष 2008-09 से पूर्व प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने के कारण रुका हुआ था। लंबे प्रयासों के बाद, एसएलएसए और डीएलएसए, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के वार्षिक लेखाओं पर वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को वर्ष 1998-99 से 2019-20 के लिए प्राप्त कर संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखने के लिए तैयार किया गया। तत्पश्चात उक्त प्रतिवेदन दिनांक 17.12.2021 को लोक सभा के सभा पटल पर रखे गए।										
12(पंद्रह)	सदन में दस्तावेजों को रखे जाने की तिथि											
	संगठन से दस्तावेज प्राप्त होने के बाद लिया गया समय											

उप-प्रश्न	बिंदु	वर्ष 1998-1999 से 2020-2021 तक का वर्षवार विवरण												
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-2020	2020-21	टिप्पणियां
12(एक)	लेखापरीक्षा प्राधिकारियों से संपर्क करने की तिथि	कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	30-07-2011	कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	25-09-2015	13-12-016	11-07-2017	07-09-2018	14-06-2019	20-11-2020	12-08-2021	लेखापरीक्षा अधिकारियों को तुलन पत्र भेजा गया
	लेखा वर्ष समाप्त होने के बाद लिया गया समय	कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	58 दिन	कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	178 दिन	257 दिन	102 दिन	160 दिन	75 दिन	234 दिन	134 दिन	
12 (दो)	सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की तिथि	कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	31.01.2018	31.01.2018	25.10.2018	22.07.2019	08.03.2021	28.9.2021	लेखापरीक्षा का पहला दिन

	लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिए लेखापरीक्षा प्राधिकारियों से मिलने के बाद लिया गया समय	कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	414 दिन	204 दिन	48 दिन	38 दिन	108 दिन	47 दिन	
12 (तीन)	वार्षिक लेखों के संकलन की तिथि	26-07-2010	26-09-2011	25-06-2012	28-09-2013	01-11-2014	10-09-2015	13.07.2016	17.06.2017	18.07.2018	22.05.2019	04.11.2020	12.07.2021	तुलन पत्र को अंतिम रूप देना
	लेखा वर्ष समाप्त होने के बाद लिया गया समय	118 दिन	179 दिन	86 दिन	181 दिन	215 दिन	163 दिन	104 दिन	78 दिन	109 दिन	52 दिन	218 दिन	103 दिन	
12 (चार)	लेखापरीक्षकों को वार्षिक लेखे प्रस्तुत करने की तिथि	कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	30-07-2011	कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	25-09-2015	13.12.2016	11.07.2017	07.09.2018	14.06.2019	20.11.2020	12.08.2021	तुलन पत्र को जमा करना

	संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद लिया गया समय	कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	58 दिन	कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	178 दिन	257 दिन	102 दिन	160 दिन	75 दिन	234 दिन	134 दिन	
12 (पाँच)	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा की तिथि एवं अवधि	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	03.11.2015 से 09.11.2015	31.01.2018 से 06.02.2018 या 27.02.2018 से 06.03.2018	31.01.2018 से 06.02.2018 या 27.02.2018 से 06.03.2018	25.10.2018 से 01.11.2018	22.07.2019 से 29.07.2019	08.03.2021 से 11.03.2021	28.09.2021 से 08.10.2021	लेखा परीक्षा की अवधि
12 (छः)	लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा के दौरान/ वार्षिक लेखाओं के पूरा होने के बाद उठाए गये प्रश्नों की तिथि	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	20.03.2018	20.03.2018	26.11.2018	06.08.2019	22.04.2021	26.11.2021	लेखा परीक्षा प्राधिकारियों द्वारा भेजी गई प्रारूप लेखा

														परीक्षा टिप्पणियाँ
	लेखापरीक्षा प्राधिकारियों को लेखापरीक्षा के दौरान/वार्षिक लेखाओं को पूरा करने के बाद प्रश्न उठाने में लेखापरीक्षकों द्वारा लिया गया समय	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	14 दिन	14 दिन	25 दिन	8 दिन	42 दिन	49 दिन	
12 (सात)	वह तिथि जब लेखापरीक्षकों को लेखापरीक्षा प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत किए गए थे	25-08-2010	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	25.04.2018	25.04.2018	22.01.2019	08.01.2020	29.04.2021	03.12.2021	लेखा परीक्षा प्राधिकारियों द्वारा भेजे गए लेखा

														परीक्षा प्रतिवेदन

	प्रश्नों का समाधान करने में लगने वाला समय	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	36 दिन	36 दिन	57 दिन	155 दिन	248 दिन	7 दिन	
12 (आठ)	वह तिथि जिस पर लेखापरीक्षा प्राधिकारियों द्वारा प्रारूप लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की गई थी	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	31-08-2012	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	12-09-2014	18-11-2015	20.03.2018	20.03.2018	26.11.2018	06.08.2019	24.08.2020	26.11.2021	प्रारूप लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की तिथि
	वार्षिक लेखाओं की लेखा परीक्षा के बाद लिया गया समय	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	9 दिन	14 दिन	14 दिन	25 दिन	8 दिन	30 दिन	49 दिन	
12 (नौ)	वह तिथि जिस पर संस्थान को	02-03-2012	07-04-2012	14-10-2013	08-01-2014	15-01-2015	14-01-2016	11.05.2018	11.05.2018	25.04.2019	11.03.2020	08.06.2021	31.12.2021	एसएआर जारी

	अंतिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त हुई													करने की तिथि
	प्रारूप रिपोर्ट जारी होने के बाद लिया गया समय	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	52 दिन	52 दिन	150 दिन	218 दिन	288 दिन	35 दिन	
12 (दस)	संस्थान की अंतिम लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए वार्षिक लेखा प्राप्त करने के बाद लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा लिया गया कुल समय	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	66 दिन	66 दिन	175 दिन	226 दिन	319 दिन	84 दिन	लेखा परीक्षा कराने के बाद की तिथि
12 (ग्यारह)	वार्षिक रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की तिथि	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	11.05.2018	11.05.2018	25.04.2019	11.03.2020	08.06.2021	31.12.2021	एसएआर जारी करने की तिथि

	वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद लिया गया समय, और	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	52 दिन	52 दिन	150 दिन	218 दिन	288 दिन	35 दिन	
	अंतिम लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद लिया गया समय	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	52 दिन	52 दिन	150 दिन	218 दिन	288 दिन	35 दिन	
12 (बारह)	वह तिथि जब सक्षम प्राधिकारी ने दस्तावेजों को अनुमोदित किया	25-05-2010	25-05-2010	24-08-2012	10-10-2013	21-12-2015	21-12-2015	09.01.2019	09.01.2019	09.01.2019	04.06.2019	28.01.2021	04.08.2021	एजीएम की तिथि
	वार्षिक रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के बाद लिया गया समय	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है	
	अंतिम लेखा परीक्षा रिपोर्ट	रिकॉर्ड उपलब्ध	रिकॉर्ड उपलब्ध	रिकॉर्ड उपलब्ध	रिकॉर्ड उपलब्ध	रिकॉर्ड उपलब्ध	रिकॉर्ड उपलब्ध	रिकॉर्ड उपलब्ध	रिकॉर्ड उपलब्ध	रिकॉर्ड उपलब्ध	रिकॉर्ड उपलब्ध	रिकॉर्ड उपल	रिकॉर्ड उपल	

	प्राप्त होने के बाद लिया गया समय	नहीं है	नहीं है	नहीं है	नहीं है	नहीं है	नहीं है	नहीं है	नहीं है	नहीं है	नहीं है	ब्ध नहीं है	ब्ध नहीं है	
12 (तेरह)	जिस तिथि को दस्तावेज अनुवाद एवं मुद्रण हेतु गए थे	31.07.2020	31.07.2020	31.07.2020	31.07.2020	31.07.2020	31.07.2020	31.07.2020	31.07.2020	31.07.2020	31.07.2020	15.06.2021	06.01.2022	अनुवाद के लिए दस्तावेज उपलब्ध कराने की तिथि
	प्रत्येक चरण में कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय	80 दिन	80 दिन	80 दिन	80 दिन	80 दिन	80 दिन	80 दिन	80 दिन	80 दिन	80 दिन	25 दिन	35 दिन	अनुवाद और मुद्रण में लगने वाला समय

12 (चौदह)	प्रत्येक चरण में कार्य पूरा होने के बाद सदन में रखे	21-10-2020	21-10-2020	21-10-2020	21-10-2020	21-10-2020	21-10-2020	21.10.2020	21.10.2020	21.10.2020	21.10.2020	12.07.2021	10.02.2022	एसएलएसए को प्रस्तुत किए गए

	जाने के लिए दस्तावेजों को मंत्रालय भेजने की तिथि													दस्तावेज
	दस्तावेजों को मंत्रालय भेजने में संगठनों द्वारा लिया गया समय	वर्ष 2011 में, 1997-98 से 2007-08 तक की अवधि के लिए लेखा परीक्षा रिपोर्टें नालसा द्वारा विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखने के लिए भेजी गई थीं। दिनांक 10 जून, 2013 के एसओ 1521 (ई) के तहत, "गरीबों को कानूनी सहायता" विषय को न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया था। 2016 में, विधि कार्य विभाग से यह पुष्टि की गई थी कि 1997-98 से 2007-08 तक के एसएलएसए और डीएलएसए संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ के लेखापरीक्षित लेखाओं को संसद के समक्ष नहीं रखा गया था क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उनके विभाग को दस्तावेज़ प्राप्त नहीं हुए थे। वर्ष 2008-09 से पहले प्रतिवेदन सभा पटल पर नहीं रखे जाने के कारण वर्ष 2008-09 से प्रतिवेदन प्रस्तुत करना रोक दिया गया था। लंबे प्रयासों के बाद, वर्ष 1998-99 से 2019-20 के लिए एसएलएसए और डीएलएसए, संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ के वार्षिक लेखाओं पर वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त किए गए और संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखने के लिए इनको तैयार किया गया। तत्पश्चात् उक्त प्रतिवेदनों को दिनांक 17.12.2021 को लोक सभा के पटल पर रखा गया था ।												
12 (पंद्रह)	सदन में दस्तावेजों को सभा पटल पर रखे जाने की तिथि													
	संगठन से दस्तावेज प्राप्त होने के बाद लिया गया समय													

परिशिष्ट-तीन

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-2022) की नौंवी बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण

समिति की बैठक सोमवार, 28 मार्च, 2022 को 15:00 बजे से 16:25 बजे तक समिति कक्ष "सी", संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री रितेश पाण्डेय - सभापति

सदस्य

2. डॉ. शफ़ीकुर्रहमान बर्क
3. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
4. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
5. श्री टी.एन. प्रथापन
6. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका

सचिवालय

1. श्रीमती सुमन अरोड़ा - संयुक्त सचिव
2. श्री सुंदर प्रसाद दास - निदेशक
3. श्री उत्तम चंद भारद्वाज - अपर निदेशक

साक्षी

विधि और न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

1.	श्री बरुण मित्रा	-	सचिव
2.	श्री नीरज कुमार गयागी	-	संयुक्त सचिव
3.	श्री शैलेश श्रीवास्तव	-	निदेशक
4.	श्री पुनीत सहगल	-	निदेशक

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए), नई दिल्ली

1.	श्री अशोक कुमार जैन	-	सदस्य सचिव
2.	श्रीमती अदिति सिंह	-	ओएसडी

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए), संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़

1.	*श्री सुरेंदर कुमार*	-	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह सदस्य सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़

1.	श्री अशोक कुमार मान	-	सीजेएम-सह-सचिव

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें कार्यसूची के बारे में बताया।

3. तत्पश्चात्, समिति ने विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए), नई दिल्ली, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), चंडीगढ़ के वर्ष 1998-1999 से 2020-2021 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के मामले को लिया।

विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग), एनएएलएसए, एसएलएसए और डीएलएसए के साक्षियों को अंदर बुलाया गया।

4. सभापति ने समिति की बैठक में विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग), एनएएलएसए, एसएलएसए और डीएलएसए के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और उन्हें बैठक की कार्यसूची की जानकारी दी। सभापति ने कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में लोक सभा अध्यक्ष के निदेश के निदेश 58 के उपबंधों के बारे में भी साक्षियों को बताया।

5. सर्वप्रथम, विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग) के प्रतिनिधियों ने एसएलएसए/डीएलएसए की स्थापना और कार्यों के बारे में पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया। इसके बाद, समिति ने वर्ष 1998-1999 से एसएलएसए और डीएलएसए के दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हो रहे बारंबार और असाधारण विलंब के विशिष्ट कारणों के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। मंत्रालय के प्रतिनिधि ने एसएलएसए और डीएलएसए के दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए असाधारण विलंब के लिए खेद प्रकट किया और बताया कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि एसएलएसए और डीएलएसए को नालसा से सहायता अनुदान मिल रहा है और नालसा के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को नियमित रूप से सदन के पटल पर रखा जा रहा है। इसलिए, एसएलएसए/डीएलएसए के अपेक्षित दस्तावेजों को अलग से सभा पटल पर रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

6. तथापि, वर्ष 2018 में, समिति ने विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग)/ नालसा को बताया था कि सभी एसएलएसए/डीएलएसए के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को भी सदन के पटल पर रखना आवश्यक है।इसके बाद, उन्होंने सदन के पटल पर रखने के लिए एसएलएसए और डीएलएसए के दस्तावेज तैयार किए थे। मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने समिति को आश्वासन दिया कि भविष्य में एसएलएसए और डीएलएसए के अपेक्षित दस्तावेजों को निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर रखा जाएगा।

7. तत्पश्चात, सभापति ने विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग)/एसएलएसए/डीएलएसए के प्रतिनिधियों को एक सॉफ्टवेयर तैयार करने का सुझाव दिया, जिसमें उनके प्रशासनिक

नियंत्रणाधीन सभी संगठनों के दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने से संबंधित एक अद्यतन स्थिति उनके द्वारा उपलब्ध कराई जा सके और विलंब के मामले में मंत्रालय द्वारा स्वतः एक अनुस्मारक भेजा जा सके।

8. अंत में, अध्यक्ष ने विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग), नालसा, एसएलएसए और डीएलएसए के प्रतिनिधियों को विषय की जांच के संबंध में स्वतंत्र और स्पष्ट विचार प्रकट करने के लिए धन्यवाद दिया और आशा जताई कि भविष्य में, एसएलएसए और डीएलएसए के प्रतिवेदनों को निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर रखा जाएगा।

तत्पश्चात, साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।

समिति की बैठक की शब्दश: कार्यवाही की एक प्रति रिकार्ड में रखी गई है।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

*****

<u>परिशिष्ट-</u>

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-2023) की 29.03.2023 को हुई चौथी बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण।

<u>सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23)</u>

समिति की बैठक गुरुवार, 29 मार्च, 2023 को 15:00 बजे से 16:00 बजे तक समिति कमरा सं. 'ग ', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री गिरीश चन्द्र - ***सभापति***

सदस्य

(लोक सभा)

2. **श्री शफीकुर्रहमान बर्क**
3. श्री चौधरी मोहन जटुआ
4. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
5. श्री टी.एन. प्रथापन

सचिवालय

1.	श्री विनय कुमार मोहन	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री नवल के. वर्मा	-	निदेशक
3.	श्री उत्तम चंद भारद्वाज	-	अपर निदेशक

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति के सदस्यों का बैठक में स्वागत किया और उन्हें कार्यसूची से अवगत कराया।

3. तत्पश्चात, समिति ने निम्नलिखित 6 प्रारूप प्रतिवेदनों और 6 कीगई कार्रवाई- प्रतिवेदनों पर विचार करने और स्वीकार करने के लिए लिया - :

1. x x x x x;
2. x x x x x;
3. x x x x x;
4. राज्य विधिक सेवाप्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब;
5. x x x x x;
6. x x x x x;
7. x x x x x
8. x x x x x
9. x x x x x
10. x x x x x
11. x x x x x
12. x x x x x

समिति द्वारा 6 प्रारूप प्रतिवेदनों और 6 की-गई कार्रवाई प्रतिवेदनों पर विचार किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। सभापति को समिति द्वारा इन प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और लोक सभा में प्रस्तुत करने के लिए प्रधिकृत किया गया ।

xx xx xx xx

(बैठक की शब्दशः कार्यवाही की एक प्रति रखी जाती है।)

इसके बाद समिति स्थगित हो गई।

****